FORM No. lll
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02 बांदीकुई, जिला–दौसा
1. दांडिक निगरानी संख्या–31/2024 बी.टी.नंबर–16/2025
CNR RJDS060004222024 Case No.Cr. Revision/32/2024
आशुतोष वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह
2. दांडिक निगरानी संख्या–34/2024 बी.टी.नंबर–18/2025
CNR RJDS060005112024 Case No.Cr. Revision/35/2024
सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

दिनांक 09.06.2026	न्यायालय के समक्ष दाण्डिक निगरानी संख्या 31/2024(बी.टी.नंबर–16/2025) एवं 34/2024 (बी.टी.नंबर–18/2025) लंबित है। दोनों निगरानी माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, दौसा के आदेश दिनांक 06.01.2025 से इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त हुयी। चूंकि उपर्युक्त दोनों निगरानी एक ही आदेश दिनांक 02.08.2024 से संबंधित होने के कारण दोनों का एक ही आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निगरानीकारान आशुतोष व अन्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह तंवर उपस्थित। निगरानीकार सतीश कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री फिरोज खान उपस्थित। गैर निगरानीकार संख्या–1 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित। दोनों पत्रावलियों में बहस निगरानी सुनी गयी। संक्षेप में दोनों निगरानियों के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकारान द्वारा न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई (सुविधा की दृष्टि से जिसे आगे संक्षेप में विचारण न्यायालय से संबोधित किया जाएगा) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट–76/2023 पुलिस थाना बांदीकुई, नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–436/2023 सरकार बनाम आशुतोष व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिस आलोच्य आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण/निगरानीकारान (दाण्डिक निगरानी संख्या 31/2024) आशुतोष, अनिता एवं योगेश के विरूद्ध धारा 323,341 एवं 354 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने का आदेश पारित किया गया है, के विरूद्ध तथा निगरानीकार (दाण्डिक निगरानी संख्या 34/2024) सतीश कुमार के द्वारा राजेन्द्र कुमार, मनोज, राहुल एवं शांति के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02 बांदीकुई, जिला–दौसा

1. दांडिक निगरानी संख्या–31/2024 बी.टी.नंबर–16/2025

CNR RJDS060004222024 Case No.Cr. Revision/32/2024

आशुतोष वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

2. दांडिक निगरानी संख्या–34/2024 बी.टी.नंबर–18/2025

CNR RJDS060005112024 Case No.Cr. Revision/35/2024

सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

143, 354, 379 एवं 452 भारतीय दंड संहिता,1860 का अपराध संकलित साक्ष्य के आधार पर बनना प्रकट नहीं होने के संबंध में पारित उक्त आलोच्य आदेश से व्यथित होकर निगरानीकारान की ओर से यह निगरानी पेश की गयी है।

अपनी मौखिक बहस में विद्वान अधिवक्तागण निगरानीकारान (दाण्डिक निगरानी संख्या 31/2024) ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा विधि अनुसार प्रसंज्ञान का आदेश पारित नही किया गया तथा निगरानी स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 02.08.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उक्त बहस का विरोध करते हुए निगरानीकारान (दाण्डिक निगरानी संख्या 34/2024) ने मौखिक बहस में विद्वान विचारण न्यायालय ने जो आलोच्य आदेश पारित किया है, उसमें यथायोग्य संशोधन होने का आधार बताते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि "आया निगरानीधीन आदेश दिनांक 02.08.2024 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता से परिपूर्ण है अथवा नहीं?"

निगरानी संख्या–34/2024 बी.टी.नंबर–18/205 सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह में निगरानीकार सतीश की ओर से मुख्य तर्क यह रहा है कि उसके द्वारा कुल सात नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया था किन्तु अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्त सात में से सांठगांठ करके केवल तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया है तथा उनके विरूद्ध

	भी सभी धाराओं में आरोप पत्र पेश नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी केवल तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध ही अंतर्गत धारा 323, 341 एवं 354 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 में प्रसंज्ञान लिया गया है और अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान नहीं लिया गया और उनके द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 354, 379 व 452 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 में प्रसंज्ञान के संबंध में पृथम दृष्टया आधार बनना पाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया है, जबकि प्रकरण संख्या–31/2024 बी.टी.नंबर–16/ 2025 आशुतोष वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, जो उक्त प्रकरण में विपक्षी/गैर निगरानीकार हैं और इस प्रकरण में निगरानीकार हैं, उनके द्वारा कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तथाकथित जिन तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है वह उचित नहीं है तथा साथ ही न्यायालय के द्वारा अभियुक्ता अनिता के विरूद्ध धारा 354 भारतीय दंड संहिता,1860 में प्रसंज्ञान लिया गया है और एक महिला के विरूद्ध धारा 354 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा विचार किया गया विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर न्यायालय को इस बात का अवधारण करना है कि क्या तथाकथित धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कार्यवाही करने का आधार है अथवा नहीं? <u>प्रसंज्ञान अपराध का होता है ना कि अभियुक्त</u>	

FORM No. lll

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02 बांदीकुई, जिला-दौसा

1. दांडिक निगरानी संख्या-31/2024 बी.टी.नंबर-16/2025

CNR RJDS060004222024 Case No.Cr. Revision/32/2024

आशुतोष वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

2. दांडिक निगरानी संख्या-34/2024 बी.टी.नंबर-18/2025

CNR RJDS060005112024 Case No.Cr. Revision/35/2024

सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

	का। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्ञा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि एतद्द्वारा वह उसकी लज्ञा भंग करेगा, उस स्तर पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता, 1860 में जो कोई शब्दावली का उपयोग किया गया है, अर्थात जो कोई शब्दावली में पुरूष व स्त्री दोनों ही समाहित हैं। यदि पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि किसी महिला के द्वारा भी किसी अन्य महिला की लज्ञा भंग करने के आशय से कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है तो वह महिला भी अंतर्गत धारा 354 भारतीय दंड संहिता, 1854 के तहत विचारण योग्य है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 452 के अनुसार, जो कोई किसी निर्माण, तम्बू या मानव आवास के उपयोग में आने वाली संपत्ति में उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के साथ प्रवेश करता है, वह धारा 452 के तहत गृह अतिचार का अपराध करता है। उक्त प्रकरण में परिवादी सतीश कुमार के द्वारा जो प्रकरण दर्ज करवाया गया है, उसमें उनके द्वारा यह तो कथन किया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा घर के घुसकर मारपीट की गयी, किन्तु नक्शामौका में घटना का स्थान, जो ए बिन्दू दिखाया गया है, वह बिन्दू घर के बाहर का है और उस नक्शामौके पर परिवादी सतीश कुमार एवं अन्य आहतगण के हस्ताक्षर है। तदनुसार इस स्तर पर यह पृथम दृष्टया यह स्पष्ट नही है कि घटना घर के बाहर कारित हुयी अथवा घर के अन्दर।	

	हालांकि परिवादी सतीश कुमार एवं अन्य आहतगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 161 एवं आहता नीरू के द्वारा अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बयानों में अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी अपराध कारित किये जाने का कथन किया गया है, किन्तु वहीं पर अन्य स्वतंत्र गवाहान भुपेन्द्र सिंह, बलवीर सिंह एवं चिरंजीलाल के द्वारा अन्य व्यक्तियों के योगदान एवं अन्य आपराधिक तथ्यों के संबंध में इंकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में वास्तविकता का निर्धारण अभियोजन साक्ष्य के उपरांत ही तय हो पायेगा। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध धारा 161 एवं 164 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जिन तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323 एवं 354 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, 1860 में प्रसंज्ञान लिया गया है उसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। यदि साक्ष्य अभियोजन के उपरांत शेष व्यक्तियों के संबंध में कोई साक्ष्य/आपराधिक दायित्व का साक्ष्य प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय उनके संबंध में विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 02.08.2024 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता से परिपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता से परिपूर्ण होने के कारण दोनों निगरानीकारान की ओर से प्रस्तुत निगरानियां (दाण्डिक निगरानी संख्या 31/2024 (बी.टी.नंबर-16/2025) एवं 34/2024 (बी.टी.नंबर-18/	

FORM No. lll
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02 बांदीकुई, जिला–दौसा
1. दांडिक निगरानी संख्या–31/2024 बी.टी.नंबर–16/2025
CNR RJDS060004222024 Case No.Cr. Revision/32/2024
आशुतोष वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह
2. दांडिक निगरानी संख्या–34/2024 बी.टी.नंबर–18/2025
CNR RJDS060005112024 Case No.Cr. Revision/35/2024
सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह

	2025) अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती हैं। । फलतः विधि एवं न्याय के परिप्रेक्ष्य में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः– **– आदेश –** निगरानीकारान आशुतोष व अन्य एवं सतीश कुमार की ओर से प्रस्तुत दोनों अलग अलग निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या–436/2023 बअनुवान राजस्थान राज्य बनाम आशुतोष कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 सम्पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की प्रति दोनों पत्रावलियों में लगायी जावे। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः दोनों पत्रावलियां फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, बांदीकुई, जिला–दौसा।	